

**प्रेस-विज्ञप्ति**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद मे वांछित/वारण्टी/गैगेस्टर एक्ट/अवैध शराब/अवैध असलहा/एनडीपीएस एक्ट/आदि से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा की गयी सराहनीय कार्य निम्नवत है-

**थाना अतरौलिया**

**शातिर अभियुक्त हनुमान निषाद के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.हनुमान निषाद पुत्र निहोर 2.शोभनाथ निषाद पुत्र लालदेव 3.पवन निषाद पुत्र रामनयन निवासीगण शम्भुपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ अभियुक्तगण द्वारा वादी स्वामीनाथ प्रजापति पुत्र रामलखन निवासी बडागांव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने दिनांक 24/8/2020 थाना स्थानीय पर चोरी का मु0अ0सं0 98/20 धारा 380/457 IPC बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया था जिसमे वादी के बूढ़नपुर बाजार के मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर आर0 बी0 टोन सिरप ,डेक्सोरेन्ज सिरप हिमोलेब फोर्ट सिरप , हार्लिक्स , श्री श्री देसी घी व पैसा चुराने के सम्बन्ध में है इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा संज्ञान लेकर प्रभारी अतरौलिया आजमगढ़ को निर्देशित किया गया कि मुकदमे में प्रकाश में आये अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर व चोरी गये सामान को बरामद कर आवश्यक कार्यवाही करे , के सम्बन्ध में SI तारकेश्वर राय मय हमराह का0 वीरेन्द्र यादव , का0 हरिभान सिंह , का0 धीरज सिंह , का0 कौस्तुभ मौर्या के दिनांक 27/8/2020को दौरान क्षेत्र भ्रमण जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण हनुमान निषाद पुत्र निहोर 2.शोभनाथ निषाद पुत्र लालदेव 3.पवन निषाद पुत्र रामनयन निवासीगण शम्भुपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को कोयलसा बाजार से समय 7.30 बजे सुबह कोयलसा बाजार से गिरफ्तार किया गया |जिनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है |

**पूछताछ का विवरण** – अभियुक्त हनुमान द्वारा पूछताछ करने पर बताया की हम चोरी, जहरखुरानी कई वारदात कर चुके है जनपद जौनपुर , अम्बेडकरनगर , व आजमगढ़ में |

**पंजीकृत अभियोग –**

मु0अ0सं0 98/20धारा -380/457/411 IPC

**अपराधिक इतिहास–** हनुमान निषाद पुत्र निहोरसाकिन शम्भुपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़– उम्र 42 वर्ष

1. मु0अ0सं0145/06 धारा 25 Arms Act थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 499/07 धारा 8/22 NDPS Act थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं01498/07 धारा 30प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 1434/07 धारा 379,328 IPC थाना कोतवाली आजमगढ़
- 5- मु0अ0सं0 36/07 धारा 21/22 NDPS Act थाना जीआरपी शाहगंज जौनपुर
6. मु0अ0सं0 33/07 धारा 401 भा0द0वि0 थानाजीआरपी शाहगंज जौनपुर
7. मु0अ0सं0 34/07 धारा 25/27 A Act थाना जीआरपी शाहगंजजौनपुर
8. मु0अ0सं0 121/09 धारा 110 सीआरपीसी थाना थाना अहरौला आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 33/09 धारा 380 भा0द0वि0 थानाअहरौला आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 578/09 धारा 4/25 A ACT थाना अहरौला आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 130/10 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट अहरौला आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 768/10 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना अहरौला आजमगढ़
13. मु0अ0सं0 867/10 धारा 8/21 एनडीपीसी एक्टथाना अहरौला आजमगढ़
14. मु0अ0सं0 6/12 धारा 394/411/120 B भा0द0वि0 थाना अहरौला आजमगढ़
15. मु0अ0सं0 112/13 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थानाअहरौला आजमगढ़
16. निल/12 धारा 392 भा0द0वि0 थाना अतरौलिया आजमगढ़
17. मु0अ0सं0 94/12 धारा 394/411/120B भा0द0वि0 थाना अतरौलिया आजमगढ़
18. मु0अ0सं0 131/10 धारा 3/25 ए एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
19. मु0अ0सं0 191/14 धारा 328/379 भा0द0वि0 थाना आलापुर अम्बेडकर नगर
20. मु0अ0सं0 185/15 धारा 394 भा0द0वि0 थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकर नगर
21. मु0अ0सं0 238/15 धारा 379/412/413/414/467/468/434/420 भा0द0वि0 थानाराजेसुल्तानपुर अम्बेडकर नगर
22. मु0अ0सं0 2 39/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर
23. मु0अ0सं0 326/17 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी आजमगढ़
24. मु0अ0सं0 378/17 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी आजमगढ़
25. मु0अ0सं0 292/17 धारा 380/411 IPC जीआरपी आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

1. हनुमान निषाद पुत्र निहोर
2. शोभनाथ निषाद पुत्र लालदेव

3. पवन निषाद पुत्र रामनयन निवासीगण शम्भुपुर थाना अहरोला जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1- 3323 रूपये , एक अदद लोहे का सब्बल मेडिकल स्टोर से चोरी किये गये आर0 बी0 टोन सिरप ,डेक्सोरेन्ज सिरप , हिमोलेब फोर्ट सिरप , हार्लिक्स , श्री श्री देसी घी आदि सामान

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- SI तारकेश्वर राय चौकी प्रभारी बूढ़नपुर , मय हमराह थाना-अतरौलिया, आजमगढ़

थाना जहानागंज

चार साल से फरार अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.07.2016 को वादी श्री बृजभान यादव उ0नि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की फर्द बरामदगी के आधार परथाना स्थानीय मे मु0अ0स0 160/2016 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम व 60 ट्रेडमार्क अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।

दिनांक 27.08.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे वाछित वारण्टी की गिरफ्तार के चलाये गये अभियान के क्रम मे मु0अ0स0 160/2016 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम व 60 ट्रेडमार्क अधिनियम से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पुत्र रामअवध सिंह ग्राम कबूतरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.45 बजे दिन मे पीजीआई मेन गेट के सामने मेडिकल स्टोर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त (सन् 2016) चार साल से फरार चल रहा था । अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:-

1- 160/2016 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम व 60 ट्रेडमार्क अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- मनोज कुमार सिंह पुत्र रामअवध सिंह ग्राम कबूतरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-प्र0नि0 श्रीमती ज्ञानू प्रिया मय हमराह थाना- जहानागंज आजमगढ़

नोट:- जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 34 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है ।